



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940

No. 577]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

का.आ. 694(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की उप-धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 438 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
438	911	राजस्थान राज्य में बाप निकट रारा-11 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नौख, चारनवाला, रंजीतपुरा, गोडू, गोकुल, तावरवाला, जग्गासर, दंतौर, पूगल, सत्तासर, रोजरी, घरसाणा, अनूपगढ़, रायिसहंनगर, गजसिंहपुर, करनपुर को जोड़ते हुए साधुवाली (गंगानगर) पर रारा-62 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/2/2018-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में संशोधन अधिसूचना सं. 509 दिनांकित 29.01.2019 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th February, 2019

S.O. 694(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 438 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
438	911	The highway starting from its junction with NH-11 near Bap connecting Naukh, Charanwala, Ranjitpura, Godu, Gokul, Tawarwala, Jaggsar, Dantour, Poogal, Sattasar, Rojri, Gharsana, Anupgarh, Raisinghnagar, Gajsinghpur, Karanpur, and terminating at its junction with NH-62 at Sadhuwali (Ganganagar) in the State of Rajasthan.

[F. No. NH-14012/2/2018-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notification no. 509 dated 29.01.2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

का.आ. 695(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
550	968	राजस्थान राज्य में भदासर के निकट रारा-68एन के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पाकिस्तान सीमा के निकट सरकारीताला पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/2/2018-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में इसमें संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 509(अ), दिनांकित 29.01.2019 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2019

S.O. 695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
550	968	The highway starting from its junction with NH-68 near Bhadasar and terminating at Sarkaritala near Pakistan border in the State of Rajasthan.

[F. No. NH-14012/2/2018-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 509 (E), dated 29.01.2019.